७
अंतिम-सत्र

श्री अनुपम भाटिया ने अंतिम सत्र की शुरूआत की । उन्होंने कहा कि कार्यशाला गोष्ठी के दौरान पर्वतीय विकास वन-जंगल और स्थानीय संस्थाओं से संबंधित बहुत से मुख्य मुद्दे उभर कर सामने आए हैं । एक छोटे समूह ने कार्यशाला गोष्ठी के दौरान उभरे हुए मुख्य मुद्दों और प्रतिक्रियाओं को एकत्रित किया था । यह विचार किया गया कि हमें उभरे हुए (चिन्हिते) मुद्दों पर आम सहमति के आधार पर प्रशासन और, सामुदायिक वन व्यवस्थापन से संबंधित एक 'समान्यकथन' तैयार करना चाहिए ।

हिन्दू कुश-हिमालय में
प्रशासन और सामुदायिक वन
व्यवस्थापन पर एक सामान्य कथन

डा. महेश बाँसकोटा, सह निर्देशक, इसीमोड सत्र की अध्यक्षता करते हुए

भूमिका

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में सामाजिक एवं लिङ्ग समानता के सिद्धांत पर आधारित उपयुक्त स्थानीय प्रशासन प्रणाली के बिना प्राकृतिक स्रोत, खास कर वन जंगल के बिना स्थायी रूप से व्यवस्थापित नहीं किए जा सकते हैं । निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण और प्रजातांत्रिकरण स्टेक होल्डरों के सहभागिता को और अधिक बढाता है । शक्ति

प्रत्यायोजन और जिम्मेवारियों से समन्वित स्थानीय समुदाय सहभागिता स्थायी विकास को बढाने में एक प्रभावकारी मार्ग के रूप में उभर रही हैं । जैसा कि वर्षों से समुदाय आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है और, अनौपचारिक गाँव स्तरीय संस्थाओं ने वन स्रोतों के व्यवस्थापन में अपनी योग्यता को दिखाया है, फलस्वरूप हम आज गाँव एवं जिला स्तरीय निर्वाचित संस्थाओं के साथ बढते हुए संबंध को महसूस (देख) कर रहे हैं । इस प्रक्रिया ने निर्वाचित संस्थाओं के विकेन्द्रीकरण, शक्ति निक्षेपण, और जिम्मेवारियों से संबंधित नए नियम, उपनियम और कानूनों को उभारने में मदद पहुँचाया है ।

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र के कुछ देशों में विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया सहभागी मूलक विकास के पूर्व अवस्था के रूप में शुरू किया गया है । लेकिन अभी भी कभी-कभी सहभागिता निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समेटने में असफल हो जाती है । साथ ही स्थानीय विकास और पर्यावरणीय व्यवस्थापन के कार्यों में लिङ्ग समानता और सामाजिक समानता की ओर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है । स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता समूह के बीच पारस्परिक विश्वास और निर्भरता के अभाव के कारण झगडों, दोहरेकार्य और स्रोतों की हानि आदि का उद्भव होता है ।

अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन की ये नए स्वरूप वर्तमान सामान्य व्यवस्थापन प्रणाली के अन्तर्गत की नए रास्तों (रूपरेखाओं) की खोज करें । निर्वाचित संस्थाओं और अनौपचारिक समुदाय आधारित संस्थाओं के बीच नयी संस्थागत व्यवस्थाओं को उभारने की आवश्यकता है ।

हम, कार्यशाला सहभागियों ने निम्न लिखित मुख्य संबन्धित बूंदों को चिन्हित किया है ।

- विकेन्द्रीकरण और वन निकाय के प्रशासन से संबन्धित नीतियों, कानूनों और विनियमों के बीच पूरकपन, सहयोग एवं सामंजस्य का अभाव ।
- राजनीति एवं सामुदायिक वन व्यवस्थापन में महिलाओं की कम सहभागिता ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं, राज्यवन प्रशासन विकास संस्थाओं और सामुदायिक वन व्यवस्थापन संस्थाओं की जिम्मेवारीओं और पारदर्शिता में कमी ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और अन्य विकास संस्थाओं द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों, योजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन में सामुदायिक वन व्यवस्थापन संस्थाओं की अपेक्षाकृत कम संलग्नता ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन संस्थाओं के बीच बढते हुए मतभेद खासकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं, एवं कार्यक्रमों में ।
- सामुदायिक संस्थाओं की कम शक्ति सम्पन्नता, साथ ही उनको अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करनें में रूकावटों का सामना करना ।

- निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों के बीच कार्यान्वयन के कोशिशों में दोहरापन ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं द्वारा समुदाय आधारित वा व्यवस्थापन को अपेक्षाकृत कम स्रोतों को प्रदान करना ।
- स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और समुदाय आधारित पर दबाब की आवश्यकता ताकि वे एक दूसरे की ओर से वकालत कर सकें ।
- विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता ताकि राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित हो सके ।
- किराये के अवधि पर प्राप्त और वन स्वामित्व से संबन्धित मुद्दों की उपेक्षा ।

अपेक्षित अवस्था

हम, कार्यशाला के सहभागियों ने यह महसूस किया कि इन मुद्दों पर अत्याधिक तत्परता से विचार किया जाना चाहिए । जिन पर विचार किया जाना चाहिए, वे परिवर्तन ये हैं कि स्थानीय लोग प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि इनका जीवन इन स्रोतों पर निर्भर करता है ।

उपर्युक्त सच्चाई इस बात पर जोर देता है कि हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में सामुदायिक संस्थाओं के मार्फत् स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक स्रोत, खास कर वनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण प्रदान किया जाना चाहिए । सर्वप्रथम हक के रूप, में न कि सरकार द्वारा सुविधा के तौर पर वन स्रोतों को उपयोग पर स्थानीयों लोगों का अधिकार होना चाहिए । वन उत्पादनों का व्यापार शर्तों के आधार पर होना चाहिए ।

- ऐसी नीतियों और कानूनों का निर्माण, जो स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूहों के बीच ऐसे सामर्थ्य पूर्ण वातावरण को तैयार करे जो निर्माणशील क्रियाकलापों को बढावा दे ।
- ऐसी नियमावलियों का आगमन जो राजनीति एवं सामुदायिक वन व्यवस्थापन में महिलाओं की समान सहभागिता को निर्णय प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर में प्रोत्साहित करे ।
- ऐसी प्रक्रियाओं की उपस्थिति जो व्यक्तिगत, स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं एवं सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रत्येक स्तर में पारदर्शिता को निश्चित करे ।
- संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर ऐसे कानूनों का परिचय जो सीमान्त, सामाजिक आर्थिक समूहों के प्रतिनिधित्व और सहभागिता को निश्चित करता हो ।
- संम्पत्ति और विरासत से संबन्धित कानूनो में परिवर्तन ताकि पुरूषों और महिलाओं को समानता मिले ।
- सभी स्टेक होल्डर्स के सहमति के आधार पर गाँव सभाओं का निर्माण ताकि पर्वतीय प्राकृतिक स्रोतों का एकीकृत व्यवस्थापन हो ।

- सभी सार्वजनिक संम्पत्ति प्राकृतिक स्रोतों का गाँव सभाओं में स्थानान्तरण और ऐसे कानूनों और नीतियों की व्यवस्था जो कि प्राकृतिक स्रोतों पर जीवन यापन के लिए निर्भर व्यक्तियों को इन स्रोतों के परिचालन की जिम्मेवारी देता हो ।

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक रूप रेखा

इन अपेक्षाओं की परिपूर्ति के लिए राजनीतिक इच्छा और उच्चस्तरीय व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी । इस कार्यक्रम के (रूपरेखा) अन्तर्गत स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर शोध, शिक्षा एवं प्रचार की आवश्यकता होगी । उपयुक्त नये कानूनों के विषय में सूचित एवं उन्हें प्रभावित करने के लिए आगामी रूप रेखा का वकालत भी एक महत्वपूर्ण भाग होगा । लिङ्ग समानता एवं सामाजिक समानता जैसे सिद्धान्तों से समुदायों एवं नीति निर्माण कर्ताओं को भी अवगत कराना होगा ।

हम, कार्यशाला के सहभागी इस बात पर पूर्ण रूप सें सहमत हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधित आवश्यक कार्य जल्द-से जल्द आरंभ हो । व्यक्ति एवं संस्था को हमसे संपर्क स्थापित कर 'हरेक के लिए, हमेशा' के सिद्धान्त पर इस क्षेत्र में पारदर्शी प्रशासन एवं स्थायी पर्वतीय विकास की ओर आवश्यक कदम उठाएं ।

हरियाली संगीत समूह, नेपाल, द्वारा पर्यावरण के मुद्दे पर आधारित एक प्रस्तुती (उपर और मध्य में)

सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेपाल और भारत के सहभागी

हिन्दू कुश-हिमालय क्षेत्र में प्रशासन एवं सामुदायिक वन व्यवस्थापन से संबंधि सामान्य कथन का ढांचा

वर्तमान	अपेक्षित	रुपरेखाएं
नीति कानून और नियमों के बीच पूरकपन का अभाव	ऐसी नीतियों और कानूनों का निर्माण जो स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूहों के बीच सामर्थ्यपूर्ण वातावरण को तैयार करें, जो निर्माणशील क्रियाकलापों को बढावा दे ।	• स्थानीय से क्षेत्रीय स्तर तक के सभी स्तरों में वर्तमान कानूनी आकारों को परिवर्तित करने के लिए प्रचार-प्रसार एवं परिचालन । • पारंपरिक और आधुनिक कानूनों एवं लोगों के विचारों पर आधारित शोध कार्य के अनुसार वैकल्पिक कानूनों की रुपरेखा बनाना । • वर्तमान कानूनी रुप-रेखा को बदलने के लिए लोगों के मार्फत कानून निर्माताओं पर दबाव ।
लिङ्ग एवं सामाजिक समानता एवं	• ऐसी नियमावलियों का आगमन जो राजनीति एवं सामुदायिक वन व्यवस्थापन में महिलाओं की समान सहभागिता को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के हरेक स्तर में निश्चित करे । • ऐसे कानूनों की प्रस्तुति जो सीमान्त सामाजिक आर्थिक समूहों के प्रतिनिधित्व में संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करे ।	• सभी संस्थाओं केसभी स्तरों में महिलाओं एवं सीमान्त सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए कानूनी आरक्षण पर जोर । • समानता के सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की तैयार के क्रम में समुदायों को लिङ्ग और सामाजिक आर्थिक मुद्दों के विषय में शिक्षित करना । • सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा खासकर लडकी बच्चे के लिए ।
• समुदाय संस्थाओं की अपर्याप्त शक्ति संपन्नता, खास कर अनौपचारिकों की ।	• ऐसी सामुदायिक संस्थाओंका निर्माण जो समानता के सिद्धान्त पर आधारित हो और लोगों के द्वारा बनाया गया हो, उपर से थोपा नहीं गया हो । • पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशासन का स्व-निर्भरता एक आदर्श स्वरूप हो ।	• लोगों के साथ कानून वेत्ताओं और उच्च समाज के लोगों के साथ काम करना ताकि सामान्य लोगों के साथ उनके कार्यों को बढाया जा सके । • क्षमता निर्माण और स्थानीय संस्थागत विकास ।

• जिम्मेवारी और पारदर्शिता की कमी	• सभी स्तरों पर ऐसे यांत्रिकी का अस्तित्व जो सभी व्यक्तियों स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं और सामुदायिक वन व्यवस्थापन समूह में पारदर्शिता को सुनिश्चित करे । • पारदर्शिता दैनिक जीवन का भाग हो ।	• विभिन्न स्तरों पर वकालत • सूचना और चेतना मूलक कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार ।
• संम्पत्ति अधिकार में असमानता	• संम्पत्ति और वंशानुगत धरोहर के कानून में परिर्वतन ताकि महिलाओं और पुरुषों को समान रुप से देखा जा सके ।	• विभिन्न स्तरों पर वकालत • सूचना और चेतना मूलक कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार ।
• सामुदायिक वन व्यवस्थापन का विकास के कार्यकलापों में असंलग्नता	• वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन और सभी विकास कार्यों को गाँव सभाओं और इनके द्वारा अनुमोदित दूसरे निकायों को सौंपना ।	• स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन और विकास से संबंधित आवश्यक कार्यों का संपादन करने के लिए मजबूत गाँव सभाएं बनाना ।
• सा.व.व्य.स. और निर्वा. प्र.नि. के बीच विकास के मुद्दों पर मतभेद ।	• गाँव स्तर पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की उपस्थिति साथ ही प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित/चयित प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार । • गाँव सभा को प्राकृतिक स्रोत एवं व्यवस्थापन की भूमिका प्रदान करना ।	• प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए प्रचार-प्रसार साथ ही प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधि वापस बुलाने का अधिकार • प्रतिनिधियों को यह अवगत कराना कि यदि वे लोगों की ओर से इमान्दारी पूर्वक कार्य नही करेंगे तो पुन: वोट नहीं दिया जाएगा ।
• प्रतिनिधि समूह की ओर से कार्य करे न कि राजनीतिक पार्टी की ओर से । • किराए एवं स्वामित्व से संबंधित मुद्दों की उपेक्षा	• ऐसी नीतियाँ जो स्पष्ट अधिकार की प्रत्याभूति दें ।	• प्रत्येक स्तर में कानून में बदलाव के लिए प्रचार-प्रसार

• प्रतिनिधि समूह की ओर से कार्य करे न कि राजनीतिक पार्टी की ओर से । • किराए एवं स्वामित्व से संबंधित मुद्दों की उपेक्षा	• ऐसी नीतियाँ जो स्पष्ट अधिकार की प्रत्याभूति दें ।	• प्रत्येक स्तर में कानून में बदलाव के लिए प्रचार-प्रसार